

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
नगर निकाय,
उ.प्र., लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2014

विषय: उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को चिकित्सा विभाग को खाद्य निरीक्षकों के समान वेतनमान/ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1769/नौ-4-10-118डब्ल्यू./2000, दिनांक 15.09.2010 तथा शासनादेश संख्या-3446/नौ-1-13-230सा./2013, दिनांक 04.07.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ.प्र. पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 01.01.2006 से रू. 6500-10,500 के उच्चिकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4200/- प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01.12.2008 से चिकित्सा विभाग के मुख्य खाद्य निरीक्षक के सादृश्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-3263/दस-59(एम.)/2008टी.सी., दिनांक 12 जनवरी, 2011 के द्वारा वेतनमान रू. 6500-10,500 के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2, रू. 9300-34,800 एवं ग्रेड-पे रू. 4600/- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीकृत किया गया। तदोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.07.2013 द्वारा पालिका सेवा के मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34,800 ग्रेड वेतन रू. 4600/- तत्काल प्रभाव अर्थात् दिनांक 04.07.2013 से अनुमन्य किया गया है।



2. उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2010 एवं शासनादेश दिनांक 04.07.2013 में संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के पदों पर दिनांक 01.01.2006 से रू. 6500-10,500 उच्चिकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 रू. 9300-34,800 एवं ग्रेड वेतन रू. 4600/- दिनांक 01.01.2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकट भुगतान दिनांक 01.12.2008 से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-वे.आ.-2-779/दस-2014, दिनांक 03 जुलाई, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या (1)/नौ-7-14-35(रिट)/14तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1/2
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ.प्र. द्वारा निदेशक, नगर निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

६